देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक / वाहन / निविदा / 2022–23/ 315–B   दिनांक 17 / 02 / 2023

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा – विज्ञप्ति 2022–23

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के परीक्षा / गोपनीय / केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो के लिए **प्रतिमाह हेतु वाहन** किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध मे ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1,000 / – तथा सुरक्षा निधि रू. 30,000 / – है।

निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	दिनांक
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभिक तिथि	07/3/2023
2	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	28/3/2023
3	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28/3/2023

निविदा पत्र का सत्यापन दिनांक 29/3/23 को भण्डार प्रभारी के कार्यालय में अपरान्हः 3:00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित समिति के द्वारा किया जावेगा।

निविदा संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर भी उपलब्ध है। निविदा के संबंध में दूरभाष क्रमांक 0731–2525825, 0731–2528966 एवं e-mail ID: registrar.davv@mp.gov.in भी संपर्क किया जा सकता है।

नोटः– निविदा में किसी भी प्रकार संशोधन समाचार के माध्यम से नहीं किया जावेगा। यह केवल www.mptenders.gov.in एवं वि.वि. की वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कुलसचिव

मूल्य 1000/– रूपये

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

वर्ष 2022–23 के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर प्रतिमाह के आधार पर किराये के वाहन संबंधी निर्देश एवं शर्ते

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वर्ष 2022–23 के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार वाहन, प्रति किलो मीटर के लिए किराए पर लिए जाने हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु अनिवार्य शर्ते निम्नानुसार है:–

1. निविदा प्रपत्र के मुल्य के रूप में 1000/–(एक हजार रू. मात्र) एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में 30,000/–(तीस हजार रू. मात्र) आनलाईन जमा करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के अंतर्गत निविदाकर्ता निम्नांकित दस्तावेजों/अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों की स्केन्ड कॉपी अपलोड करें :–

   (i) निविदाकर्ता प्रपत्र कमांक 1 में वर्णित संस्थान का विवरण स्पष्ट अक्षरों में भरकर अपलोड करें।

   (ii) निविदाकर्ता अपना स्थायी खाता कमांक (PAN), GSTIN Registration की सत्यापित छायाप्रति।

   (iii) निविदाकर्ता का आयकर विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है। विगत 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति।

   (iv) संस्था का प्रतिवर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 10.00 लाख रू. होना आवश्यक है। इस हेतु चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा तैयार की गई गत तीन वर्ष की ऑडिट की हुई सम्पूर्ण रिपोर्ट की प्रति अपलोड करें।

   (v)निविदाकर्ता फर्मं के पास कम से कम 5 वाहन पंजीकृत होना चाहिए। इस आशय का विवरण संलग्न प्रपत्र क्रमांक 02 में स्पष्ट अक्षरो में भरकर अपलोड करें।
3. अनिवार्य शर्तो के बिन्दु क्रमांक 02 के (i) से (V) तक उल्लेखित दस्तावेजो की सत्यापित प्रतियां ऑन लाईन प्रस्तुत करे। जो कागजात ऑन लाईन प्रस्तुत नही किए जा सकते उक्त कागजात एक अन्य सीलबंद लिफाफे में रखकर जिसके ऊपर " किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदा" स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो "कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर–452001" के पते पर निर्धारित तिथि तक केवल स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में पहुंचाना सुनिश्चित करें। डाक के गुम होने/विलंब होने/कटने–फटने पर विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

तकनीकी निविदा

प्रपत्र 01

फर्म का विवरण

1. फर्म का नाम...

2. पूर्ण पता...
....3. टेलीफोन नं./मो.नं
कार्यालय..........................निवास स्थान...................
फैक्स.............................ईमेल................................

4. जी.एस.टी.आई.एन.नं पंजीयन क्रमांक...

5. संस्था के अधिकृत का विवरण

नाम...

पद.. पता..........
....
.... टेलीफोन नं./मो.नं कार्यालय..........................निवास स्थान................... फैक्स............................ईमेल.........................
......

दिनांक............................

स्थान.............................

हस्ताक्षर एवं सील

तकनीकी निविदा
प्रपत्र क्रमांक 02

निविदा कर्ता फर्म की 05 पंजीकृत वाहनो की जानकारी

फर्म का पूरा नाम एवं पता ....

क्र.	गाड़ी का नाम	वाहन का पंजीयन नंबर	पंजीयन जारीकर्ता
1			
2			
3			
4			
5			

दिनांक...

स्थान..

हस्ताक्षर एवं सील

निविदा की अन्य शर्ते

1. वाहन मॉडल 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए व अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयन होना चाहिए।
2. मासिक दरों के अतिरिक्त आवेदन के साथ वाहन जिले के बाहर प्रवास हेतु दरें कर सहित भी पृथक से दर्शायी जाए।
3. मासिक किराये के तहत वाहन का अधिकतम उपयोग पत्रक अनुसार प्रतिमाह 1000 कि.मी. होगा। किसी माह में प्रवास की स्थिति में न्यूनतम 1000 कि.मी. से अधिक उपयोग होने पर अतिरिक्त किलोमीटर हेतु प्रति किलोमीटर किराया पृथक से देय होगा। नियमानुसार लॉगबुक का संधारण किया जायेगा। (सभी कॉलमों की पूर्ति अनिवार्य है)
4. वाहन, डीज़ल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा। मासिक दरों के अंतर्गत वाहन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर अथवा निर्देशित स्थान पर रखा जायेगा।
5. वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण माह के लिए (अवकाश दिवसों सहित) 12 घंटे वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) के मान से भुगतान में कटौत्री की जाएगी।
6. यदि किसी दिवस लगातार 12 घंटे से ज्यादा सेवा लोकल में ली जाती है तो रूपये 100/– प्रतिदिन के दर से अतिरिक्त पृथक देय होगा।
7. यदि 12 घण्टे से ज्यादा के साथ रात्रि विश्राम वाहन चालक द्वारा किया जाता है तो रूपये 100/– विराम भत्ता प्रतिदिन की दर से देय होगा।
8. वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिती में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राशि रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से भुगतान में से कटौत्री की जावेगी।
9. वाहनों का नियमित रूप से मेन्टेनेन्स किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मेन्टेनेन्स, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।
10. सेवा प्रदाय करने वाला अभिकरण यह सुनिश्चित् करेगा कि उनके वाहन चालक उचित व्यवहार करें तथा मदिरापान, धूम्रपान एवं गुटखा, अन्य नशीले पदार्थो का सेवन न करें
11. वाहन चालक टैक्सी वाहन चलाने का लायसेन्स धारी होना चाहिए तथा उसका आचरण शालीन होना चाहिए। उसके विरूद्ध किसी भी थाने (पुलिस) पर अपराध प्रक्ररण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये। इस आशय का शपथपत्र निविदाकर्ता को देना होगा तथा टैक्सी वाहन प्रदायकर्ता के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। इस आशय का लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा।
12. अ. किराये पर प्राप्त किए जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होगा एवं वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी का होगा।

    ब. वाहन का चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा।
13. वाहनों की संख्या तथा किराये पर लेने की अवधि आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है। जिसकी सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व में दी जायेगी। यदि वाहन माह में 24 दिवस तक ही उपयोग किया जाता है तो पूरा मासिक किराया देय होगा। आगामी वर्ष के लिये निविदा प्रक्रिया संपन्न नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पुरानी शर्तो पर निविदा अधिकतम तीन वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी। (एक/एक वर्ष हेतु)
14. वाहन की टूट–फुट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त वाहन के मासिक किराये का 1/3 (एक तिहाई) राशि कटौत्रा किया जावेगा।

15. निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर निविदाकर्ता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्ते उन्हें मान्य है।
16. वाहन चालक की ड्रेस सफेद या नीले कलर की होगी। ड्रेस संबंधित एजेन्सी द्वारा प्रदाय की जावेगी।
17. निविदा को मान्य/अमान्य स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा निर्धारित समय एवं तिथि उपस्थित निविदाकर्ताओं को अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। समस्त तकनीकी निविदाएं खोली जावेगी। तकनीकी निविदाओं में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय बीड खोली जावेगी।
18. सफल निविदाकार को वाहन तीन दिवस में उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित एजेन्सी द्वारा कुलसचिव/वाहन प्रभारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को 10 दिवस में देना होगी।
19. मासिक आधार पर किराये पर की जाने वाले वाहनों की संख्या एवं अवधि आवश्यकतानुसार होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद/स्पष्टीकरण पर कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का निर्णय अन्तिम व बंधनकारी रहेगा।
21. संस्था के पास किसी शासकीय कार्यालय/अर्धशासकीय कार्यालय (निगम/मण्डल) मे कम से कम तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
22. संस्था के देय मासिक भुगतान पर भुगतान योग्य आयकर का स्त्रोत पर कटौत्रा किया जावेगा। सेवाकर का भुगतान संस्था द्वारा नियमानुसार जमा किया जावेगा एवं उसकी पावती कार्यालय में जमा करायी जाना होगी।

कुलसचिव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

वाहन किराये पर लेने हेतु वर्ष 2022–23

निविदा क्रमांक – 1

निविदा आवेदन फार्म (प्रतिमाह आधार पर दरें)

संस्था का नाम	
संस्था का सेवा कर जी.एस.टी./पंजीयन क्रमांक	
संस्था/मुखिया का पेन नम्बर	
संस्था का स्थायी पता	
मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर	

क्र.	वाहन मैक	वाहन का मॉडल	इंजन क्षमता सी.सी. नं.	वर्ष	प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक किराये की दर (समस्त करों सहित)		प्रतिमाह 1000 कि.मी. अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराये की दर (समस्त करों सहित)	
					A.C.	Non A.C.	A.C.	Non A.C.
1	टाटा	जेस्ट		2020 Onwards				
2	मारूति सुजुकी	स्वीफ्ट डिजायर		2020 Onwards				
3	शेवरलेट	टवेरा						
4	मारूति सुजुकी	अर्टिगा		2020 Onwards				
5	टोयटा	इनोवा		2020 Onwards				
6	टैम्पो	तुफान		2020 Onwards				
7	टैम्पो	ट्रैवलर 17, 20, 26 सीटर		2020 Onwards				
8	टोयटा	इनोवा किस्टा		2020 Onwards				
9	कवर्ड लोडिंग वाहन	पिकअप/आयसर		2020 Onwards				

फर्म/प्रोपरायटर का नाम, हस्ताक्षर व सील